

हरियाणा सरकार
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 दिसम्बर, 2007

संख्या सी०सी०पी० (एन०सी०आर०)/डी०डी०पी०/के०जी०सी०ए०/2007/4539.—पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 5 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राजपत्र (साधारण), दिनांक 23 नवम्बर, 2004 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.)/डी.डी.पी./के.जी.सी.ए./2004/2919, दिनांक 19 नवम्बर, 2004 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करते हैं, जिनके इसमें प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात सरकार, संशोधन के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, आयोजना भवन, सेक्टर-18 चण्डीगढ़ द्वारा लिखित रूप में संशोधन के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जायें, विचार करेगी।

संशोधन प्रारूप

हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.)/डी.डी.पी./के.जी.सी.ए./2004/2919, दिनांक 19 नवम्बर, 2004 में,—

1. "ड्राईंग" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 2 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"2. प्रारूप विकास योजना ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (के) 1022/98 दिनांक 10 जुलाई, 1998/09 नवम्बर 2002 तथा पुनरीक्षित ड्राईंग संख्या डी. टी. पी. (के) 1332/07, दिनांक 26-11-2007."

2. अनुबन्ध क में,—

- (i) "2021 ई०" अंक तथा शब्द जहां कहीं भी आयें, के स्थान पर, "2025 ई०" अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (ii) "vi जनसंख्या/जनसांख्यिकीय" शीर्ष में,
 - (क) द्वितीय पैरा में "60000" अंकों के स्थान पर, "80000" अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
 - (ख) विद्यमान तालिका के स्थान पर, निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"तालिका-1

वर्ष	जनसंख्या	दशकीय वृद्धि दर (%)
1961	10496	-
1971	13045	24.29 प्रतिशत
1981	17332	32.86 प्रतिशत
1991	21147	22.01 प्रतिशत
2001	30179	42.71 प्रतिशत
2011	42845 (प्रक्षेपित)	42.00 प्रतिशत
2021	80000 (प्रक्षेपित)	40.00 प्रतिशत
2025	1,17,250 (प्रक्षेपित)	46.56 प्रतिशत "

- (ग) तृतीय पैरा में "80000" अंकों के स्थान पर, "1,17,250" अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

3. "प्रस्तावनाएं" उप शीर्ष के नीचे, "80000", "200" तथा "100" अंकों के स्थान पर, क्रमशः "1,17,250" "250" तथा "140" अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
4. "रिहायशी" उपशीर्ष के नीचे "200" तथा "80,000" अंकों तथा चिह्न के स्थान पर, क्रमशः "250" तथा "1,17,250" अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

5. अनुबंध ख में, -

(i) " VII. केवल सरकारी उद्यमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सैक्टर" शीर्ष में, खण्ड (1) में "एवं संस्थागत अंचल" शब्दों का लोप कर दिया जायेगा ;

(ii) " (XXI). सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयां एवं साईबर पार्क / साईबर सिटी के लिए उपबन्ध " शीर्ष के बाद, अन्त में, निम्नलिखित शीर्ष जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्:-

" (XXII). संचार टावरों की स्थापना :

- I अवस्थिति: रिहायशी जोन, वाणिज्यिक जोन, औद्योगिक जोन, परिवहन तथा संचार जोन, सरकारी तथा अर्ध-सरकारी जोन, खुले स्थान, विशेष जोन तथा कृषि जोन ।
- II पहुंच: कृषि जोन में 11.0 फुट तथा अन्य जोनों / खुले स्थान में 30 फुट ।
- III ऊंचाई: भूतल से टावर को कम से कम ऊंचाई रखा, सिविल विमानन तथा दूरदर्शन से समाशोधन के अध्यधीन 60 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। "

6. परिशिष्ट ख में, :-

(i) " I. रिहायशी जोन" शीर्ष के नीचे, खण्ड (xvii) के बाद, अन्त में, निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्:-

" (xviii). संचार टावर" ;

(ii) " II. वाणिज्यिक जोन" शीर्ष के नीचे खण्ड (xv) के बाद, अन्त में निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्:-

" (xvi). संचार टावर" ;

(iii) "III. "औद्योगिक जोन" शीर्ष के नीचे, -

(क) खण्ड (ix) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ix) सार्वजनिक उपयोगिता, सामुदायिक भवन, परचून दुकानें, बैंक, रैस्टोरेन्ट, होटल तथा बीमा कार्यालय" ;

(ख) खण्ड (xiii) के बाद, अन्त में, निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिए जाएंगे, अर्थात्:-

"(xiv) स्वास्थ्य सुविधाएं जैसा कि अस्पताल, औषधालय नर्सिंग होम, क्लीनिक (xv) संचार टावर " ;

(iv) "IV परिवहन तथा संचार जोन" शीर्ष के नीचे, खण्ड (ix) के बाद, अन्त में, निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :-

"(x) संचार टावर " ;

(v) "V. सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक उपयोग अंचल" शीर्ष के नीचे, खण्ड (vi) के बाद, अन्त में निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिये जाएंगे, अर्थात्:-

"vii) होटल, रैस्टोरेन्ट, ढाबा " ;

"(x) संचार टावर " ;

(vi) "VI. खुले स्थान " शीर्ष के नीचे, खण्ड (vi) के बाद, अन्त में, निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्:-

"(vii) संचार टावर " ;

(vii) "IX. कृषि जोन " शीर्ष के नीचे, -

(क) विद्यमान खण्ड (xx) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(xx). प्रतिबन्धित हरित पट्टी के बाहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग / अनुसूचित सड़क के साथ निम्नानुसार, ढाबा, बैंकवट हाल रैस्टोरेन्ट, मोटल, होटल, रिजॉट तथा मनोरंजन पार्क/ थीम पार्क :-

क्रम संख्या	अनुज्ञेय किया कलाप	क्षेत्र		वाणिज्यिक घटक	अधिकतम भूतल	फर्श क्षेत्र अनुपात
		न्यूनतम	अधिकतम			
1	2	3	4	5	6	7
1	ढाबा	1000 वर्ग मीटर	एक एकड़	50 वर्ग मीटर	40 प्रतिशत	40 प्रतिशत
2	रैस्टोरैन्ट	2000 वर्गमीटर	एक एकड़	15 प्रतिशत	30 प्रतिशत	150 पतिशत
3	बैंक्विट हाल	न्यूनतम 2.5 एकड़	-	10 प्रतिशत	30 प्रतिशत	50 प्रतिशत
4	बैंक्विट सुविधा के बिना मोटल	एक एकड़	तीन एकड़	15 प्रतिशत	30 प्रतिशत	150 पतिशत
5	बैंक्विट सुविधा सहित मोटल	2.5 एकड़	पांच एकड़	15 प्रतिशत	30 प्रतिशत	150 पतिशत
6	पांच सितारा होटल	4 एकड़	15 एकड़	15 प्रतिशत	30 प्रतिशत	150 पतिशत
7	रिसोर्ट	4 एकड़	10 एकड़	15 प्रतिशत	30 प्रतिशत	150 पतिशत
8	मनोरंजन पार्क / थीम पार्क	2.5 एकड़	10 एकड़	15 प्रतिशत	30 प्रतिशत	150 पतिशत

परन्तु यदि स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है, तो पहुंच अनुज्ञा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा यदि स्थल अनुसूचित सड़क पर अवस्थित है, तो मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़के) से प्राप्त की जानी है ” ;

(ख) खण्ड (xxii) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-
“(xxi-क) संचार टावर ” ।

डी० एस० डेसी,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 31st December, 2007

No. CCP(NCR)/K.G.C.A./2007/4539.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of section 5 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby publishes the following draft of amendment in the Haryana Government, Town and Country Planning Department, notification No. CCP(NCR)/DDP/K.G.C.A./2004/2919, dated the 19th November, 2004, published in the Haryana Government Gazette (ordinary), dated the 23rd November, 2004, for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of amendment shall be taken into consideration by the Government on or after expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Director, Town and Country Planning Department, Haryana, Aayojna Bhawan, Sector -18, Chandigarh, from any person in writing in respect of the draft of amendment before the expiry of the period so specified.

DRAFT OF AMENDMENT

In the Haryana Government, Town and Country Planning Department, notification No. CCP(NCR)/DDP/K.G.C.A./2004/2919, dated the 19th November, 2004,-

1. under heading "Drawings", for serial number 2 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-
 - "2. Draft Development Plan Drawing No.DTP(K) 1022/98, dated the 10th July, 1998/ the 9th November, 2002 revised on drawing No.DTP(K)1332/07, dated 26-11-2007."
2. in Annexure A,-
 - (i) for the figures and letters "2021 AD" wherever occurring, the figures and letters "2025AD" shall be substituted;
 - (ii) under heading "VI population /Demography",-
 - (a) In second para, for figures "60000", the figures "80000", shall be substituted ;
 - (b) for the existing table, the following table shall be substituted, namely:-

TABLE-1

"Year"	Population	Decennial Growth Rate
1961	10496	-
1971	13045	24.29%
1981	17332	32.86%
1991	21147	22.01%
2001	30179	42.71%
2011	42845	42.00%
2021	80000	40.00%
2025	1,17,250	46.56% ;

- (c) in third para for the figure "80000", the figures and signs "1,17,250" shall be substituted;
3. in sub-heading "Proposals", for the figures "80000", "200" and "100", the figures and signs "1,17,250", "250" and "140" shall respectively be substituted,
4. in sub-heading "Residential", for the figures and sign "200" and "80,000", the figures and signs "250" and "1,17,250" shall respectively be substituted,

5. in Annexure "B":-

1. in heading "VII. Sectors to be developed exclusively through Government Enterprises", sub- para (1), the words "and the semi public zone" shall be omitted ;
2. after heading " XXI PROVISIONS OF INTRODUCTION TECHNOLOGY UNITS AND CYBER PARKS / CYBER CITIES", the following heading shall be added at the end, namely:-

"XXII SETTING UP OF COMMUNICATION TOWERS

- I Location:- Residential Zone, Commercial Zone, Industrial Zone, Transport and Communication Zone, Public and Semi-Public Zone, Open Spaces, Special Zone and Agricultural Zone.
- II Approach:- 11.0 Feet in Agricultural Zone and 30.0 feet in others zones/ open spaces.
- III Height:- The maximum height of the tower from the ground level should not exceed 60 meters subject to clearance from Defence, Civil Aviation and Doordarshan" ;

6. in Appendix -B, -

- (i) in heading " I RESIDENTIAL ZONE", after clause (xvii), the following clause shall be added at the end, namely:-
"(xviii) Communication Towers ";

- (ii) in heading" II. COMMERCIAL ZONE", after clause (xv), the following clause shall be added at the end, namely:-

"(xvi) Communication Towers ";

- (iii) under the heading" III. INDUSTRIAL ZONE",-

- (a) for the existing clause(ix), the following clause shall be substituted, namely:-

"(ix). Public Utility, Community Buildings, retail shops, banks, restaurants, hotels and Insurance Office" ;

- (b) after clause (xiii), the following clauses shall be added at the end, namely:-

"(xiv) Health Facilities like Hospital, Dispensary, Nursing Home, Clinic.

"(xv) Communication Towers ";

- (iv) in heading" IV. TRANSPORT AND COMMUNICATIONS ZONE", after clause (ix), following clause shall be added at the end, namely:-

"(x) Communication Towers " ;

(v) in heading, "V PUBLIC AND SEMI PUBLIC USES ZONE", after clause (vi), the following clauses shall be added at the end, namely:-

"(vii) Hotels, Restaurants, Dhabas.

"(viii) Communication Towers " ;

(vi) in heading "VI OPEN SPACES", after clause (VI), the following clause shall be added at the end, namely:-

"(xvii) Communication Towers " ;

(vii) under heading "(IX) AGRICULTURAL ZONE"-

(a) for the existing clause (xx), the following clause shall be substituted, namely:-

"(xx) Dhabas, Banquet Hall, Small Restaurants, Motels, Hotels, Resort and Amusement park/Theme park along National Highways/Scheduled Roads in the area outside restricted/green belt as under:

Serial Number.	Permissible Activity	Area		Commercial Component	Maximum Ground Coverage	Floor Area Ratio
		Minimum	Maximum			
1	Dhabas	1000 square meters	1 acre	50 Square meters	40%	40%
2	Restaurant	2000 square meters	1 acre	15%	30%	150%
3	Banquet Hall	Minimum 2.5 acre	-	10%	30%	50%
4	Motel without banquet facilities	1 acre	3 acres	15%	30%	150%
5	Motel with banquet facilities	2.5 acres	5 acres	15%	30%	150%
6	5-Star Hotel	4 acres	15 acres	15%	30%	150%
7	Resort	4 acres	10 acres	15%	30%	150%
8	Amusement Park/Theme Park	2.5 acres	10 acres	15%	30%	50%

Provided that the access permission is obtained from National Highway Authority of India if the site is located on National Highway, and from Executive Engineer, Public Works Department (Building & Roads) if the site is located on scheduled road."

(b) after the clause (xxi), the following clause shall be inserted namely:-

"(xxia). Communication Towers. "

D. S. DHESI,

Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.